



www.indiacoffee.org

आरटीआई व शिकायतें बेंगलूर

संदर्भ: आरटीआई&जीआरआई/आरटीआई-टीओ/2013-14/36
2013

तारीख 01/03-05-

कार्यालय आदेश

विषय : पारदर्शिता अधिकारी के पदनामित करने के संबंध में ।

अधिवर्षिता प्राप्ति के बाद 30 अप्रैल 2013 को श्री. ए.रोयर, संयुक्त सचिव (न्यायिक) एवं पारदर्शिता अधिकारी, कॉफी बोर्ड के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के कार्यान्वयन तथा सूचना मांगने वाले नागरिकों को शीघ्र व प्रभावी सहायत उपलब्ध कराने हेतु और आवेदनों के प्रस्तुतीकरण तथा निगरानी पर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बोर्ड ने अस्थाई रूप से व तत्काल प्रभाव से श्री तस्वीम अहमद शोईब, वरिष्ठ संपर्क अधिकारी, योजना व समन्वय प्रकोष्ठ, कॉफी बोर्ड, बेंगलूर को " पारदर्शिता अधिकारी " के रूप में पदनामित किया जाता है। आगे से आरटीआई से संबंधित पत्र/प्रश्न डॉ. तस्वीम अहमद शोईब, पारदर्शिता अधिकारी, आरटीआई, कॉफी बोर्ड, डॉ.अंबेडकर वीथी, बेंगलूर-560001 पते पर भेजे जाएँ।

श्री.एच.वी.विनोद, सहायक सचिव, आरटीआई व शिकायतें, मुख्य कार्यालय, बेंगलूर पारदर्शिता अधिकारी को सहायता प्रदान करेंगे।

ह/-

(जावेद अख्तर)

आदेश द्वारा

ह/-

सचिव

सेवा में :

श्रीमती कल्पना नरेन, निदेशक (आरटीआई), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,
नई दिल्ली को सूचना के लिए

संबंधित अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष के उ.स
2. सचिव के नि.स
3. वित्त निदेशक के नि.स
4. मुख्य कार्यालय, बेंगलूर के सभी अनुभाग
5. बोर्ड के उप कार्यालयों के सभी सीपीआईओ/ ए.ए
6. कृषि अर्थशास्त्री- बोर्ड के वेबसाइट पर पारदर्शिता अधिकारी का नाम अद्यतन करने के लिए
7. अध्यक्ष, कॉफी बोर्ड पेंशनर्स संगठन
8. एसई गार्ड फ़ाइल